कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

संख्या : 2428 / 35-5 (डीएफओ). दिनांक : 25 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय पक्षी विक्रेताओं द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51–A(g), वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से बजरीगर पक्षियों, आस्ट्रेलियन लव बर्ड्स व अन्य पक्षियों को कब्जे में रखकर उनके क्रय–विक्रय का व्यापार किया जा रहा है। उक्त प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में मा0 गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन संख्या–1635/2010 (अब्दुलकादर मोहम्मद आजम शेख बनाम गुजरात राज्य व अन्य) में पारित किये गये निर्णय/आदेश दि0 12.05.2011 के अनुसार बजरीगर व अन्य पक्षियों का क्रय–विक्रय अथवा पिंजडे में रखा जाना अवैध है एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी इन पक्षियों का प्रकृति के अनुकूल खुले आसमान में स्वच्छन्द विचरण हेतु मुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपेक्षित है कि सभी संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तद्क्रम में सर्वेक्षण करा लिया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रकार के समस्त पक्षियों को खुले आसमान में स्वच्छन्द विचरण हेतु स्वतन्त्र कर दिया जाय एवं जो पक्षी स्वास्थ्य अथवा अन्य कारणों से उडने की स्थिति में न पाये जायं उनको भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड से अथवा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त संस्थानों के संरक्षण में स्वस्थ होने तक समुचित चिकित्सकीय प्रबन्धन में रखा जाय तथा पक्षियों के क्रय–विक्रय पर पूर्णतया विराम लगाया जाय। इस कार्य हेतु राज्य पशुपालन विभाग, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्यों एवं अन्य मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाय।

(एन0पी0 सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

संख्या : (1)/ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. समस्त सदस्य, जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति, गौतमबुद्धनगर।
5. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को वृहद प्रचारार्थ।

(एन0पी0 सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।